पत्र संख्या--स्था0अराज0 / / EIMS / / 2021--22 / / 993 / / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर,वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊः: दिनांक 23 जून,2021

1 समस्त एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

2 अपर निदेशक(प्रशिक्षण)
वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,लखनऊ।

3 समस्त अनुभाग अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय।

....

कृपया मुख्यालय के पत्र सं० 755 दिनांक 08.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया था कि जिन कर्मचारियों के प्रतिवेदक एडीशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी होगें उनके प्रतिवेदक ही स्वीकर्ता होगें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एडीशनल कमिश्नर स्तर के अधिकारी से तात्पर्य एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,वाणिज्य कर के स्तर से अधिकारियों से है। यदि किसी अधिकारी के स्वीकृर्ता एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 है और उसके द्वारा स्वीकर्ता में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को स्वीकर्ता में दर्शाया है तो ऐसे कर्मचारी अपनी इम्प्लाई आई०डी० सहित basic सूचना Email ID :– cta3comhqlu-up@nic.in पर दिनांक 29.06.2021 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे कर्मचारियों की ACR entry reset करते हुये पुनः ACR फीड करने का विकल्प एक्टिव कर दिया जाये।

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय पर कई प्रकरण प्राप्त हुये है जिनमें मार्गदर्शन मांगा गया है। जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	प्रकरण	माड्यूल मे अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
1.	प्रतिवेदक द्वारा वार्षिक प्रविष्टि प्रदान कर दी गई परन्तु स्वीकर्ता के सेवानिवृत्त या मृत्यु की दशा में।	प्रतिवेदक द्वारा अपना मन्तव्य दिया जायेगा। कर्मचारियों द्वारा स्वीकर्ता में डमी EMP ID अंकित की जायेगी और Remark में डमी आई0डी अंकित करने का कारण दर्शाया जायेगा।
2.	प्रतिवेदक की मृत्यु या सेवानिवृत्त हो गये और स्वीकर्ता द्वारा मंतव्य दिया जा सकता हों।	एसे प्रकरण में कर्मचारी प्रतिवेदक अधिकारी में डमी EMP ID तथा स्वीकर्ता में अधिकारी की EMP ID अंकित करेंगा और Remark में डमी आई0डी अंकित करने का कारण दर्शाया जायेगा।
3.	प्रतिवेदक और स्वीकर्ता की मृत्यु या सेवानिवृत्त हो गये हो।	ऐसे प्रकरण में कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदक तथा स्वीकर्ता में डमी EMP ID अंकित करते हुये Remark में डमी आई0डी अंकित करने का कारण दर्शाया जायेगा।

अतः उक्तानुसार EIMS पर सूचना तथा ACR request फीड कराया जाना सुनिश्चित किया जायें।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ।

2 आई०टी० अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3. चरित्र पंजिका,स्थापना अराजपत्रित,वाणिज्य कर मुख्यालय।

(पी0एन0यादव)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्था0अराज0)वाणिज्य कर
मुख्यालय,लखनऊ।